न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-158RAAJodhpur2024-82RTA225 Jagdish ors Vs Rosani etc

01. जगदीश पुत्र श्री रायचंद
02. चनणी पत्नी श्री रायचंद
दोनो जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम केलनसर, तहसील बाप, जिला जोधपुर। (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. रोशनी पुत्री रायचंद पत्नी सतराम, निवासी- केलनसर, हाल निवास- ग्राम माणकासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 07 फरवरी 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2019 रोशनी बनाम जगदीश इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेंट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

नि र्ण य

दिनांक : 24 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2019 अनवान रोशनी बनाम जगदीश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 फरवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 398 रकबा 105.07 बीघा, खसरा नं. 450 रकबा 56.19 बीघा ग्राम केलनसर तहसील बाप के संबंध धारा 88, 188 व 92-ए आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 फरवरी 2020 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया कि जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी उसकी पुश्तैनी भूमि हो न ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे यह तथ्य वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि किसी दस्तावेजी साक्ष्य से पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है। बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य केवल वाद पत्र व प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी खातेदारी भूमि को पैतृक कृषि भूमि नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का खण्डन कर यह तथ्य अंकित किये थे कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण की खातेदारी की स्वअर्जित कृषि भूमि है। वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि नहीं है, न ही वादीनी का कब्जा काश्त है। कब्जे के अभाव में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। स्वयं वादी के पते के अनुसार वह माणकासर तहसील कोलायत में रहती है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी केलनसर में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते वक्त तीनों बिंदुओ यथा- प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को तय ही नहीं किया और कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये, जबकि अंतिम रूप से यथास्थिति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है, वक्त बंदोबस्त से लेकर आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड को देखे बिना स्वअर्जित कृषि भूमि में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी भूमि मानते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कोरोना काल चल रहा है। इस कारण आपको न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होने पर आपको फोन करके बुला लिया जायेगा। अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता के विश्वास में रहे। अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 29.04.2024 को अपीलार्थी द्वारा हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल ली तो जमाबंदी पर अपीलाधीन आदेश का नोट अंकित था। हल्का पटवारी को नोट का कारण पूछने पर बताया कि सहायक कलक्टर बाप से आदेश हो रखा है। तब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.04.2024 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया तथा उसकी दिन नकल प्राप्त हुई, जिसे पढने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुई। अपीलांट्स द्वारा उक्त देरी जानबूझ कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 फरवरी 2020

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। तत्समय विश्वव्याप्त कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अपीलांट्स का विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होना स्वाभाविक था। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अधतन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवतः 2075-2078 ग्राम केलनसर तहसील बाप के खाता संख्या नया 135 एवं पुराना खाता संख्या 245 के मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 398 रकबा 17.0534 हैक्टेयर, खसरा नं. 450 रकबा 9.2187 हैक्टेयर में प्रत्येक 1/8-1/8 हिस्से के रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने तथा उसमें रेस्पोडेंट/वादीनी के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। अपीलांट्स वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में काबिज सहखातेदार को वादग्रस्त आराजी के उपयोग-उपभोग से वंछित रखना न्यायोचित नहीं है। जहां तक वाद के विचारण तक वादीनी के संभावित पुश्तैनी हिस्से के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संरक्षण का प्रश्न है, उसे बेचान नहीं किये जाने की सीमा तक संरक्षित किया जाना न्यायोचित हे। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु दोनो पक्षों के पक्ष में समान रूप से पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2019 अनवान रोशनी बनाम जगदीश इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 फरवरी 2020 को अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलांट्स को पाबंद किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 398 रकबा 17.0534 हैक्टेयर, खसरा नं. 450 रकबा 9.2187 हैक्टेयर ग्राम केलनसर में वादीनी/रेस्पो. के संभावित पुश्तैनी हिस्से का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई))
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर